

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

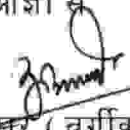
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / 976 /2021

दिनांक : 24.04.2021

श्रीमती देवांगिनी औदिच्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर को दिनांक 26.04.2021 से 01.05.2021 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.04.2021 एवं 02.05.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती औदिच्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश में लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर के पद पर ही होने की संभावना है।

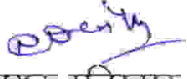
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 24.04.2021

क्रमांक :- स्था.वी.२(4)/66/2015/ 2701

दिनांक : 24.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 7777 दिनांक 26.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती देवांगिनी औदिच्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर।


सहायक रजिस्ट्रार